

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल:-ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांक: एफ. 14()2019/झालावाड़ रोड्स/एफसीए/प्रमुखस/ 1975

दिनांक 19/7/24

विशिष्ट शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:- Diversion of 0.52 ha . of forest land in favour of PUBLIC WORKS
DEPARTMENT JHALAWAR for Construction of sawantkhera to
kadagpura road. (Proposal no. FP/RJ/ROAD/38372/2019)

संदर्भ:- राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प.1(73)वन/2022 दिनांक 21.07.2022

महोदय,

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। इस सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना मुख्य वन संरक्षक, कोटा से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है:-

1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस बाबत प्रयोक्ता एजेन्सी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा इस बाबत प्रयोक्ता एजेन्सी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी तथा उनके संरक्षण के समस्त उपाय किये जावेंगे।	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे इस बाबत प्रयोक्ता एजेन्सी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ वन विभाग की ही सम्पदा होंगे, इस बाबत प्रयोक्ता एजेन्सी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	उक्त प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा इस बाबत प्रयोक्ता एजेन्सी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस /केरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकी निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी। जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इस बाबत प्रयोक्ता एजेन्सी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा इस बाबत प्रयोक्ता एजेन्सी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।

.....P.T.O.

8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित किये जाने के उपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	वनाधिकार प्रमाण पत्र मय संलग्नक संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। (अण्डरटेकिंग संलग्न)
10	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किसे जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण तथा 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (online submission & monitoring of forest & wildlife clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण विभाग द्वारा जारी की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना हेतु राशि 100800/- ई-चालान से जमा करा दी गई थी।
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी ई-चालान की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक चालान/ यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाये तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है। उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा राशि 498046/- रुपये जमा करा दी गई है। CA - 10080/- NPV - 498046/- Total - 508126/-
12	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अण्डरटेकिंग संलग्न है।
13	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।

14	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना में प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	यूजर एजेंसी द्वारा भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना में प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करवाया जा चुका है (प्रति संलग्न)। जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। (अण्डरटेकिंग संलग्न)
----	---	---

अतः पालना रिपोर्ट की मूल प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14()2019/झालावाड़ रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

दिनांक

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, झालावाड़।
3. EXECUTIE ENGINEER PUBLIC WORKS DEPARTMENT, DIV. JHALAWAR.

(दिनेश कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

- ☒ **To be Verified** : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
☒ **Verified** : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer. ☒ **Challan Generated** : This icon shows that the challan has been generated.
☒ **Unpaid** : This icon shows that the payment yet to be made. ☒ **Paid** : This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :
 Select User Agency :
 Payment Status : ☒ Paid ☐ Unpaid ☐ All
 Bank Name : Mode of Payment :
 Transaction Date (From) : Transaction Date (To) :
 Enter value for Search :

SEARCH

Sno	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/ROAD/38372/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/38372/2019) Construction of sawantkhera to kadagpura road	ROAD38372201912321	21 Jul 2022	CA: 100800/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 498046/- no: 0/- no: 0/- no: 0/- no: 0/- Total: 598846/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by : 31 Aug 2022 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 31 Aug 2022 On Transaction Date : 06 Sep 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/230820221825190834_FPRJROAD383722019_User_Fund_Dam Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD383722019123)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)



MeitY

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453-230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023-24/ **3913**

दिनांक **13.7.2024**

निमित्त:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान जयपुर।

**विषय:- Construction of Sawantkhera to Khadagpura road.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22-01-2019)**

संदर्भ:- उप वन संरक्षक झालावाड का पत्रांक 10088 दिनांक 12.07.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 2601 दिनांक 24.05.2024 से आपको प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु छाया प्रति सलंगन प्रेषित है।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रामकरण खैरवा)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

13/7

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpur Kota- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2023-24/ 2601
निमित्त:-

दिनांक: 24/5/24

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राजस्थान जयपुर।

विषय: - Diversion of 0.52 ha. of forest land in favour of public Department
Jhalawar for Construction of Sawantkheda To Khadagpura Road.
(Proposal No-FP/RJ/ROAD/38372/2019)

प्रसंग:- आपका पत्रांक 159-160 दिनांक 22.01.2024 एवं उप वन संरक्षक झालावाड का पत्रांक 4436
दिनांक 07.05.2024 के क्रम में।

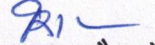
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा प्रेषित Construction of Sawantkheda To
Khadagpura Road. प्रस्ताव में लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति वनमण्डल झालावाड द्वारा की जाकर इस
कार्यालय को प्रेषित किया है जो अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ निम्नानुसार सलंगन प्रेषित है।

क्र.सं.	लगाये गये आक्षेप	पूर्ति
1	अनुपालना रिपोर्ट के पेज नं. 30 (ग्राम सभा से संबंधित) अपूर्ण है। केवल हस्ताक्षर कर रखे है, जिसे पूर्ण किया जा है।	वनमण्डल झालावाड द्वारा पूर्ति कर ली गई है।
2	यूजर एजेन्सी के Executive Engineer, Jhalawar की अण्डरटेकिंग पर सील नहीं है।	वनमण्डल झालावाड द्वारा पूर्ति कर ली गई है।
3	जिला स्तरीय वनाधिकार समिति में उप वन संरक्षक झालावाड की उपस्थिति के हस्ताक्षर कृते करके अन्य अधिकारी द्वारा किये गये है।	जिला स्तरीय वनाधिकार समिति में तत्कालीन उप वन संरक्षक द्वारा सहायक वन संरक्षक, झालावाड को इस हेतु अधिकृत किया गया है।
4	प्रस्तुत की गयी पालना रिपोर्ट में ऑनलाईन जमा कराये गये सी. ए./एन.पी.वी. की राशि अंकित नहीं की गयी है।	वनमण्डल झालावाड द्वारा पूर्ति कर ली गई है। पुनः पालना रिपोर्ट पत्र के साथ सलंगन प्रेषित है।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(रामकरण खैरवा)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2023-24/

दिनांक:

प्रतिलिपी:- उप वन संरक्षक झालावाड को उनके उक्त पत्रांक के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax-07432-232230, E-mail- dcfihalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2024/ 4169

दिनांक: 08.05.24.

निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय:- Construction of Sawantkhera to Khadagpura road
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Dt. 22.01.2019)

प्रसंग:-अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान
जयपुर के पत्रांक 159-160 दिनांक 22.01.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र से सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम झालावाड़ द्वारा प्रकरण Construction of Sawantkhera to Khadagpura road के सैद्धान्तिक स्वीकृति जो कि श्रीमान शासन सचिन वन विभाग राजस्थान के पत्रांक प. 1 (73)वन/2022 दिनांक 21.07.2022 में लगाई गई शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित की है :-

क्र. सं.	लगाई गई शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	उक्त प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।

प्रति सत्यापित

	योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) चालान व बिल की छायाप्रति संलग्न है।
12	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।
13	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
14	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरः प्रकाशित करा दी गई है। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना में सुनिश्चित की यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरः प्रकाशित करा दी गई है (प्रति संलग्न)। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है इस बाबत प्रयोक्ता एजेंसी की अन्डरटेकिंग संलग्न है।

प्रकरण की सैधांतिक स्वीकृति में लगाई गई राशियों की पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

उत्तरित

क्रमांक एफ () एफसीए/उवसं/2024/ 470-71

दिनांक 07.05.24.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर।
2. अधिशाषी अभियंता सा० नि० वि० खण्ड झालावाड़।

उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाही अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड झालावाड़

क्रमांक : 1131

दिनांक 04.09.14

श्रीमान उप वन संरक्षक
झालावाड़

विषय:- Construction of Sawantkhera to khadagpura road
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)
की अन्तिम स्वीकृति जारी करने संबंधित।
संदर्भ:- आपका पत्रांक

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक संदर्भित प्रस्ताव में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम झालावाड़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में सांघतखेड़ा से खडगपुरा सड़क निर्माण हेतु 0.520 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नॉडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष में 0.520 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Construction of Sawantkhera to khadagpura road की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों की पालना विन्दुवार विभाग द्वारा की जा चुकी है :

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रस्तावित क्षेत्र में संश्लेषित किए जाने वाले पृष्ठों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में संश्लेषित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग को होंगे।
5. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैंप नहीं लगाया जावेगा।
6. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई तेल/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वन क्षेत्र को हानि न हो।
7. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की जनगणिका से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
8. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिलेखण द्वारा जिला जलेश्वर से सार्वजनिक एक.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित कर दी गई है। जायजति संलग्न है।

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

अधिशाही अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड
झालावाड़

(सागर पट्टार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

9. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में पर्याप्त एवं सविषय में खोजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
10. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यव पर बन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षाशेषण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए सशित वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करा दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

11. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट विटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.एस.ए. 586 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एक.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रसिधूर्त अधोरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ विकास के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण हो) चालान व बिल की छायाप्रति संलग्न है।
12. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में सक्षम शर से यदि एन.पी.वी. की दरों में कोई त्रुटि होती है तो वही तुरन्त धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।
13. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
14. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एक.सी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में आक्षेप प्रकाशित करा दी गई है। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतिशत स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। उक्त के साथ मूलप्रति संलग्न कर दी गई है।

सा.नि.वि. द्वारा उपरोक्त शर्तों की पालना कर दी गयी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि उक्त निर्माण हेतु अन्तिम स्वीकृति जारी करने का श्रम करावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(आर.के.गोनी)
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़
दिनांक : 7/5/2022

कृपया : 1331

प्रतिनिधि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (डीएमजीएसवाई) सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. समथ, कोटा।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त झालावाड़।

(अधिशायी अभियन्ता)
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड
झालावाड़

प्रति लक्ष्य
(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhara to khadagpura road
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सां. 1
की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं
किया जायेगा ।


अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड
झालावाड़


(आर.वी. सोनी)
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़


(सी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़


उप वन संरक्षक
(सागर प्रवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाही अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड जिला झालावाड

क्रमांक : 1331

दिनांक : 7/1/2022

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhera to khadagpura road
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।


अधिशाही अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड
झालावाड


(आर.के.सीनी)
अधिशाही अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड


(जी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड


(सागर कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1331

दिनांक : 7/10/2022

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhera to Khadagpur road
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आरा-पारा के क्षेत्र की जनसंख्या एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।


अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड
झालावाड़

उक्ति सत्यापित


(आर.क.सोनी)
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़


(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़


(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1331

दिनांक : 7/9/2021

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhera to lhadagapura road
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रस्तावित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जायेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।


अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड
झालावाड़


(आर.के.पानी)
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़


(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़


ज. ल. पाण्डे
(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिषाणी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1331

दिनांक : 7/9/2022

अभिलिखित सहगति (अन्डरटेकिंग)

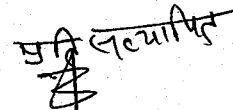
कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhera to Khadagapura road
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल/बनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/सटाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।


अधिषाणी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड
झालावाड़


(आर.के.सोनी)
अधिषाणी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़


(डी. वेंकट कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़


(सागर पट्टार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिषासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड जिला झालावाड

क्रमांक : 1331

दिनांक : 7/9/2022

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhera to khadagpura road
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/कैरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती जन क्षेत्र को क्षति न हो।


अधिषासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड
झालावाड


प्रति ल्यापित
(सागर पट्टार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड


(आर.के.पी.जी.)
अधिषासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड


(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

कार्यालय अधिषासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1331

दिनांक : 7/1/2022

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhera to khadagpura road -
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित वन भूमि के आतिश्रित आस-पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।


अधिषासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड
झालावाड़


(आर.के.सीनी)
अधिषासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़


(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन सहायक
झालावाड़


उत्तरायित
(सत्यरंजन पट्टनय IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1331

दिनांक : 7/3/2022

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhara to khadagpura road
(Proposal No. FPRJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर, राज्य सरकार में प्रेषित कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

100
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड
झालावाड़
(वी. वेंकटेश हुजूर IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

प्रतिष्ठित
(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(आर.के.सोनी)
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1331

दिनांक : 7/8/2022

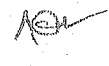
अभिलिखित सहमति (अन्धरेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhera to khadagpura road
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति को शर्त स. 8 की अनुपालना में
वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का
पालन करेगा।


अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड
झालावाड़


(आर.के. सोनी)
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़


(वी. चेतन कुमार IAS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़


(सागर पट्टार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhara to Khads gupara road
(Proposal No. FPR/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों से 10 बी अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पतन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पतन होने पर पतन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए सशु विचपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करा दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

(वी. चेतनार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

अधिवासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड
झालावाड़

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(आर.के.सोनी)
अधिवासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

कार्यालय अधिवासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1331

दिनांक : 7/9/2021

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhera to Khadappura road
(Proposal No. FPRJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

1. प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गाननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है। उपरोक्त अनुदेशों के अनुरात शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौछोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के सदस्य निरुमय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का सन्दवार विवरण) चालान व बिल की छायाप्रति संलग्न है।

(आर.के.सोनी)
अधिवासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

(डी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1331

दिनांक : 7/3/2022

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhera to khadagpura road
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।


अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड
झालावाड़


(आर.क.सोनी)
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

डा. लक्ष्मी


(जी. चेतन कुमार)
उप वन संरक्षक
झालावाड़


(सागर प्रवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिषाणी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1331

दिनांक : 7/9/2022

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhern to Khadagpura road.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमत्तित किया जाता है कि सौखानिक स्वीकृति की शर्त में 13 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।


अधिषाणी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड
झालावाड़


(आर.के. सोनी)
अधिषाणी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़


(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़


जति
सत्यापित

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिवासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 1321

दिनांक : 7/9/2022

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Sawantkhera to Khadagpura road
(Proposal No. FPRJ/ROAD/38372/2019 Date 22.01.2019)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक सप्ताहवार पत्र में अक्षरों में प्रकाशित करा दी गई है। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। चयन के साथ मूलप्रति संलग्न कर दी गई है।


अधिवासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड
झालावाड़


(आर.क. सोनी)
अधिवासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

(सागर प्रवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

132
(सी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Public Works Department, Jaipur

Bill No. & Date:

PayManager Ref. Id(s): 3397331

Bill No.: 252, Dated: 02/08/2022

Division Name: XEN PWD DNL JHALAWAR

Division Code: 16598

HAND RECEIPT NR Payment (Contingency Work)

(Referred to in PWF&A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special forms 24 and 26 are suitable)

Work: Sawankhera to Khadappura

Vendor Name: RAJASTHAN CAM PA

Sanction/Autorisation No: 0 Dated: 01/08/2022

Reason: N/A

Bank Account No: 150856138372123

Bank IFSC Code: UBIN0996335

Total amount payable to the contractor or supplier in Figures: 5,98,846
(In Words): Rupees Five Lakh Ninety Eight Thousand Eight Hundreds Forty Six Only

Debit Heads / Payment From:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
1	5054-04-800-02-01-74-V-P	598846	Workid: 45739

Deductions/Recoveries:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
-------	-----------	--------	---------

This Bill will break in following part(s) for PayManager (First column will be RefNo to pull it on PayManager)

Ref No.	Head Code	Amount Cr	Amount Dr	Remarks
3397331	5054-04-800-02-01-74-V-P		598846	Workid: 45739
	Payment Through Treasury	598846		
	5054-04-800-02-01-74-V-P			
	2059-80-001-04-01-98-V-P	47908	77850	Prorata Workid: 45739
	2059-80-052-04-01-98-V-P	11977		Prorata
	3054-03-337-01-03-98-V-P	17865		Prorata

Net Amount Payable in Figures: 5,98,846

Net Amount Payable in Words: Rupees Five Lakh Ninety Eight Thousand Eight Hundreds Forty Six Only

Certified that:

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

अधिरानी अभियन्ता
सांनिवि. सण्ड
झालावाड

(जी. डी. वुड्डे IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

Coverage: <http://www.rajasthan.gov.in> 02/08/2022 12:24:13 PM

Signature of [illegible] with seal

For use in Divisional Office
अधिसूचना अभियन्ता
सा.नि. विभाग खण्ड प्रथम
आलावाड (राज.)
Signature of [illegible] with seal

अधिसूचना अभियन्ता
सा.नि. वि. खण्ड
आलावाड

प्रति हस्ताक्षर

(सागर पवार IFS)
संरक्षक
आलावाड

12
सा. नि. वि. खण्ड प्रथम
उप वन संरक्षक
आलावाड

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Public Works Department, Building & Road Branch

HAND RECEIPT of Rajasthan Camp

for Rs. 598846 /-

Passed for Rs. 598846 /-
five lacs ninety eight thousand eight
hundred forty six only

Cash Book Voucher No.

(1) Pay byfor
Cheque
Cash

(2) Paid by me "PD."

अधिरापी अभियन्ता
सांनिर्विदो खण्ड
झालावाड

Received From The Executive Engineer PWD Division Jhalawar Rs. 598846 /-

Name of work for which payment is made Construction of Sewer lines
to Kalagpura

of pay bill Voucher No.

HR entered in M.B. No. 713/2018 on Page no. 98

very
Sd/-
Ran

(Stamps)

Signature of Payee

For use in the Divisional office

For use in the Accountant General's office

Checked

Auditor

Reviewed

Accounts Clerk, Divisional officer.

Auditor

Supdt.

G.O

The Officer authorizing payment should initial and date the pay order after scoring out word "cheque" or "cash" as the case may be.

The person actually making the payment should initial and date payment certificate (2).

In the case of works the accounts of which are kept by sub-heads the amounts chargeable to each sub-head should be specified by the disbursing officer.

Payment should be attested by some known person when the payee's acknowledgment is give by mark seal or thumb impression.

(वी. वेणु कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

अधिरापी अभियन्ता
सांनिर्विदो खण्ड
झालावाड

जति
दत्ताप
(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

क्रमांक : 6652

दिनांक : 17-08-22

निमित्त : अधिशासी अभियन्ता

प्रयोक्ता अभिकरण का नाम व पता : सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड झालावाड़

राशि मांग पत्र

- प्रस्ताव का नाम व क्रमांक : Construction of Sawantkhera to Kadappura
File No. : FP/RJ/ROAD/38372/2019
- सैद्धान्तिक स्वीकृति का विवरण : क्रमांक प. 1 (73) वन/2022 दिनांक 21.07.2022
- पन्थालीय स्वीकृति का विवरण : -
- प्रत्यापन होने वाली वनभूमि का विवरण (ha)

CATEGORY	RESERVED FOREST	PROTECTED FOREST	UNCLASSIFIED FOREST	DEEMED FOREST	OTHERS	TOTAL
Area (ha)	-	0.52	-	-	-	0.52

- वृक्षोपार्जन प्रस्ताव हेतु विहित भूमि का विवरण

Category	Non Forest Land	Degraded Forest Land	Total
Area (ha)	0	0.52	0.52

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव में जारी स्वीकृति की कालिका में निम्नानुसार वर्णित राशि जमा कराने की आवश्यकता बताई एवं पाठना से अवगत कराया :

विवरण	अतिरिक्त शर्तें विवरण (स्वीकृति में अतिरिक्त शर्तें का हितों)	मांग राशि का नम	क्षेत्रफल (हेक्टा)/ संख्या/ माप	दर/ भुज (अनुमति 252/-)	राशि	राशि जमा करने वाले का नाम/स्वातंत्र्य का विवरण	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
	एन.पी.डी की राशि	NPV	0.52	957780/- रु	4988046	कैम्पा अकाउंट में ऑनलाइन जमा करवायी जानी है।	
	वाणिज्यिक वृक्षोपार्जन राशि	C.A.(NFL) C.A.(DFL)	100 रु	-	100800	कैम्पा अकाउंट में ऑनलाइन जमा करवायी जानी है।	
		Medicinal Plant/Waist plant	-	-	-	-	
		Penal CA	-	-	-	-	
		Penal NPV	-	-	-	-	
		Safety Zone	-	-	-	-	
		Inner boundary	-	-	-	-	
		Cost of Survey, demarcation and boundary Pillars	-	-	-	-	
		1.5 time Safety Zone DFL	-	-	-	-	
		Cost of tree Cutting	-	-	-	-	
		Muck Disposal	-	-	-	-	
					598846		

Handwritten signature and date: 22/8/22

कार्यालय अधि. अभि. सा. नि. वि. खण्ड झालावाड़
पत्र प्राप्ति नं०
दिनांक
R.C. O.A. B.A.O. T.A. E.E.

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक

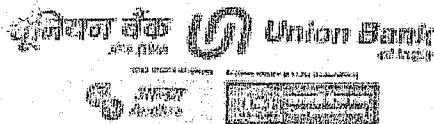
प्रति धन्यार्पण

अधिशासी अभियन्ता
(वी. चेतन कुमार IFS) सा. नि. वि. खण्ड
झालावाड़

(सागर प्रकाश IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

D/SURVEYOR/FCA LETTER 01.08.2020

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 31-08-2022

Agency Name:	PUBLIC WORKS DEPARTMENT JHALAWAR
Application No.	6138372123
MoEFISG File No.	1(73)FOREST/2022
Location:	RAJASTHAN
Address:	EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR Jhalawar
Amount(In Rs)	5988461-

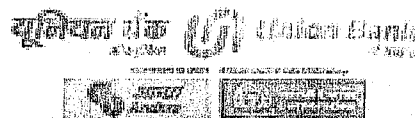
Amount in Words : Five Lakh Ninety-Eight Thousand Eight Hundred and Forty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0998335
Pay to Account No.	150856138372123 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 31-08-2022

Agency Name:	PUBLIC WORKS DEPARTMENT JHALAWAR
Application No.	6138372123
MoEFISG File No.	1(73)FOREST/2022
Location:	RAJASTHAN
Address:	EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR Jhalawar
Amount(In Rs)	5988461-

Amount in Words : Five Lakh Ninety-Eight Thousand Eight Hundred and Forty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0998335
Pay to Account No.	150856138372123 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampe@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

अधिराधी अभियन्ता
सांनिधि खण्ड
झालावाड

(सागर प्रवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

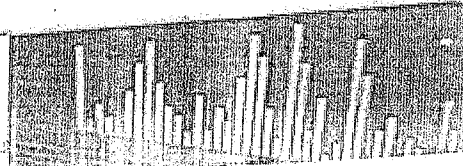
WORKS ACCOUNT MONITORING SYSTEM

Public Works Department, Jaipur

XEN-FWD DN, JHALAWAR

Financial Year:

Version:



Date: 07-09-2022

Active Users: 129, Auto Logout after 19 (24) minutes

Others: Approvals vs Expenditures

Treasury Processing

Add New Transaction

Reports

Archive (Old Years Data)

Treasury Vouchers

Select criteria again

Treasury Vouchers (Criteria: VendorType: Others, Vendor: RAJASTHAN CAM PA, Bill Created From: 01-09-2022 to 07-09-2022)

Treasury Vouchers (Criteria: VendorType: Others, Vendor: RAJASTHAN CAM PA, Bill Created From: 01-09-2022 To 01-09-2022)										
SlNo	BillDate	BillNo/GRNNo	BillType	Budget Head	GrossAmt	VendorName	NetAmt	TVNo/ChellanNo	TVDate	When Updated From PayManager
1	06/09/2022	6054-D4-000-02-01-74-V/P	670598	RAJASTHAN CAM PA	688848	30492	06/09/2022	treasury forward		

12

अधिराजी अमियन्ता
सांनिधि खण्ड
झालावाड़

अधिराजी अमियन्ता
सांनिधि खण्ड
झालावाड़

प्रतिस्व्यापित
(संगर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

Annexure - I

FORM-I

(For linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Bhilawar, Rajasthan

TO WHOMSOEVER MAY CONCERN

Date 19-8-2022

No. 552

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of India's letter no. 11-9592-FC (PL) dated 3 August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with MoEF's letter dated 3 February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.52 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Public work Department Div Bhilawar for Construction of Sawan/Chera to Khadappur road in Bhilawar District falls within jurisdiction of Khadappur village in Pirwa tehsil.

It is further certified that :

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.52 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (i) to annexure (X)
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl:- As above

Signature

(District Collector & District Magistrate)

Bhilawar

Date 19-8-2022

No. 552

Copy to the Executive Engineer PWD Div. Bhilawar for MHA

(District Collector & District Magistrate)

Bhilawar

अधिराषी अभियन्ता

सांनिधि संरक्ष

झालावाड

श्री. देव प्रसाद IFS)

उप वन संरक्षक

झालावाड

(सागर पवार IFS)

उप वन संरक्षक

झालावाड

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, झालावाड़ की दिनांक 12.08.2022 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की भाव्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा-03(1) व 3(2) के अन्तर्गत दिनांक 12.08.2022 को प्रातः 11.00 बजे जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, झालावाड़ की बैठक जिला कलक्टर महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें संलग्न परिशिष्ट-अ के अनुसार पदाधिकारियों ने भाग लिया, बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण Construction of Sawantkhera to khadagpur road तक में कुल वन भूमि में से सड़क निर्माण में 0.52 हेक्टेयर भूमि आती है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन (Diversion) हेतु सभी सदस्यों ने प्रकरण का वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है, ना ही वन क्षेत्र में कोई बाधा लम्बित है।

अतः निम्नलिखित विवरणानुसार प्रस्तुत निर्माण कार्य में आने वाली वन भूमि को डायवर्जन एवं FRA प्रमाण-पत्र जारी करने की अभिशप्ता की जाती है।

क्र. सं.	नाम उप खण्ड	नाम ग्राम	ग्राम पंचायत	खसरा नम्बर	डायवर्जन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	किस्म
1	पिड़ावा	खड़गपुरा	सरखेडी	398	0.52	
				कुल योग	0.52	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, झालावाड़

उपवन संरक्षक
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़

क्रमांक: एफ.22 / वनाधिकारी / 2022-23 / 553-58

दिनांक: 12.08.2022

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदया झालावाड़।
2. उप वन संरक्षक, झालावाड़
3. उप खण्ड अधिकारी, पिड़ावा।
4. अभिशप्ती अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, झालावाड़।
5. रक्षित पत्रावली।

अभिशापी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड
झालावाड़

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

सदस्य सदित
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद, झालावाड़
(सागर पटवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

Scanned with CamScanner

आज दिनांक 24/4/2021 को ग्राम समा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली भूमि में Construction of Sawantkhera to khadagpura road जो वन विभाग से गुजर रही है, वर्तमान में बन्द है उसके निर्माण हेतु ग्राम समा में वन भूमि में 0.52 हेक्टर हेतु प्रस्ताव लिया गया तथा सर्व सम्मति से सड़क के निर्माण की अति आवश्यकता बताई गई एवं किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में सड़क बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्राम समा के रजिस्टर में क्रमांक 73 पर इन्द्राज हैं तथा ग्राम समा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई।

प्रति
प्रमाणित

(सागर/पवार JFS)
उप वन संरक्षक
आनावाड़

(श्री. रमेश कुमार JFS)
उप वन संरक्षक
आनावाड़

सरपंच, ग्राम समा
प.म. पिडावा मु. मुनेल

अधिराजी अभियन्ता
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
आनावाड़

न.रा.पिडावा मु. मुनेल (आनावाड़)
पिन-431125